अध्याय 3

निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन

{ धारा 4 (1) (बी) (**III**) }

1. एनसीसी केन्द्र एव ं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित है। राज्य शासन द्वारा अपर महानिदेशक एनसीसी को मध्यप्रदेश में एनसीसी संचालनालय हेतु विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उप संचालक का एकमात्र पद अधिकारी वर्ग में स्वीकृत है, जो कि मध्यप्रदेश वित्त रीवा का है। उप संचालक मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में वित्तीय सलाहकार का कार्य भी संपादित करते है। अधिकारी वर्ग में शेष सभी अधिकारी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा पदस्थ किये जाते है।

2. अतः विभिन्न विषयों पर उचित स्तर पर अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है। जहां तक महत्वपूर्ण विषय का संबंध है। विभागाध्यक्ष स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाता है।